न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :–यू0डी0खान
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 07/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

भवंर सिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट– अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 29.10.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 290 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 215 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी भवंर सिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः–

क्र.स.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012–2015	70	5 बीघा 1 बिश्वा	बंजड़ दोयम	पन्नेसिंह पुत्र जतन सिंह, नारायण सिंह पुत्र उमासिंह, जीतसिंह पु0 शैतान सिंह राजपूत, सा0 भौडकी हिस्सा बराबर
2	2015–2018	70	5 बीघा 1 बिश्वा	बंजड़ दोयम	सरकार
3	2017–2020	70	5 बीघा 1 बिश्वा	बंजड़ दोयम	राजकीय
4	2021–2024	70	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	गुलाराम पुत्र रामदयाल, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
5	2025–2028	70/1	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	गुलाराम पुत्र रामदयाल, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
6	2029–2032	70/1	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	गुलाराम पुत्र रामदयाल, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
7	2033–2036	70/1	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	गुलाराम पुत्र रामदयाल, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार

8	2042–2045	70/1	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
9	2046–2049	70/1	2 बीघा 11 बिश्वा	बंजड़ दोयम	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
10	2060–2063	215	0.64है0	बंजड़ 2	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
11	2062–2065	215	0.64है0	बंजड़ 2	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
12	2063–2066	215	0.64है0	बंजड़ 2	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
13	2067–2070	215	0.64है0	बंजड़ 2	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
14	2071–2074	215	0.64है0	बंजड़ 2	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार
15	2074–2077	215	0.64है0	बंजड़ 2	भंवरसिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा निवासी ग्राम गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना–पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना–पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 290 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 215 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड़ 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित मे दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 29.09.2021 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि जमीन पर सम्वत् 2012 से पूर्व से अप्रार्थी के पिता गुलाराम का कब्जा काश्त था तथा अप्रार्थी के पिता के देहान्त के पश्चात् उक्त जमीन अप्रार्थी को उतराधिकार में प्राप्त हुई तथा सन् 1978 में उक्त जमीन बाबत विरासतन नामान्तरकरण अप्रार्थी के नाम राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तस्दीक किया गया परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने भुलवशं व गलती से गैर खातेदार दर्ज कर दिया। उक्ज जमीन पेटे अप्रार्थी के पिता ने राज्य सरकार को लगान अदा किया है तत्पश्चात अप्रार्थी ने उक्त जमीन पेटे राजस्थान सरकार को लगान अदा किया है जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। जमीन

बंजड़ दोयम नहीं है। राजस्व रिकार्ड में जमीन की किस्म बंजड़ दोयम चल रही है। जबकि उक्त जमीन पर सम्वत् 2009 से अप्रार्थी के पिता व उसके देहान्त के पश्चात् सन् 1978 से अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 215 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 2 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 70 की गैर खातेदारी भंवर सिंह पुत्र गुलाराम, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी वकील ने राजकीय अभिभाषक के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि गिरदावरी मे विवादित भूमि मे काश्त होना दर्ज है। भूमि बंजड नही है। अप्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार रहा है। संवत् 2010 मे अप्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार था। अप्रार्थी को जमीन विरासत मे मिली है। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता ने विवादित भूमि का लगान अदा किया है। विवादित भूमि ठिकाने की भूमि थी और ठिकानेदार पन्ने सिंह से विवादित भूमि अप्रार्थी के पिता को मिली है। अतः प्रार्थी को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 290 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे स्थित भूमि ख0न0 215 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड द्वितीय की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार से है यथा :–

1. प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू द्वारा विवादित आराजी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि बताया है तथा भूमि गैर खातेदारी को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में अप्रार्थी का तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी कभी सार्वजनिक उपयोग में नहीं ली गई है। बल्कि आराजी सम्वत् 2021 से अप्रार्थी के पिता तथा तत्पश्चात् सम्वत् 2042 से अप्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि रही है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके इस तर्क को सही माना जा सके की भूमि सार्वजनिक उपयोग भूमि रही है।
2. अप्रार्थी का दुसरा तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागु नहीं होते है क्योंकि विवादित आराजी ग्राम कालीपहाड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 70 सम्वत् 2012 से वर्ष 2015 तक गैर खातेदारी में दर्ज रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में गोचर भूमि, नदी, तल अथवा तालाब तथा किसी लोक प्रयोजन या लोक उपयोग के कार्य लिए प्राप्त की गई या धारण की गई भूमि को माना है। प्रकरण में विवादित आराजी किस्म बंजड़ द्वितीय दर्ज रही है, जो गैर खातेदारी में रही भूमि है। विवादित आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते है।

(48)

3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी सम्वत् 2021 से 2024 अर्थात 54 साल से अप्रार्थी के पिता तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रही है। जमीन की किस्म बजंड द्वितीय है तथा अप्रार्थी भूमि का कर दे रहे है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा जबाब में विवादित आराजी की खातेदारी दिये जाने की गुजारिश की है। इस हेतु अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। आदेश की प्रति प्रार्थी तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं 29/10/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू